

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1714 / 2012 / जयपुर
अपील संख्या 1715 / 2012 / जयपुर
अपील संख्या 1716 / 2012 / जयपुर
अपील संख्या 1717 / 2012 / जयपुर
अपील संख्या 1718 / 2012 / जयपुर

आनन्द चैम्बर्स प्रा.लि.,
होटल जैस, एम.आई.रोड, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एस.के.जैन,
कर सलाहकार

....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 126,127,128,129 व 130 / अपील्स- द्वितीय / आरवीएटी / जयपुर / बी / 2011-12 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 27.12.2011 एवं 14.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-संभाग-तृतीय जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 25.04.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 26, 61 व 55 के तहत कामय कर, ब्याज व शास्तियों में से कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त प्रांचों अपीलों में कर एवं ब्याज को विवादित किया गया है।

लगातार.....2

2. चूंकि पॉचो ही प्रकरणों के तथ्य समान हैं अतः इनका निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक रूप से रखी जा रही हैं।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 21.12.2010 को किया गया था। अपीलार्थी व्यवहारी रेस्टोरेंट व होटल के कार्य में व्यवसायरत है। सर्वेक्षण एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों की जांच पर सशक्त अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ग्राहकों को जारी किये गये बिलों में अलग से अलग-अलग मदों में सर्विस चार्ज के रूप में भुगतान प्राप्त किया जाकर इस राशि पर वैट का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिलों में अलग से वसूल किये गये सर्विस चार्ज को वेट अधिनियम के तहत विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए सर्विस चार्ज की राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है तथा आरोपित कर के अदेय रहने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज आरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर सशक्त अधिकारी द्वारा विवादित आदेश में धारा 61 के तहत करापवंचन की शास्ति आरोपित की गयी है। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2011 एवं 14.02.2012 द्वारा प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखा एवं धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें पेश की गयी हैं।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कम्पनी द्वारा सर्विस चार्ज विक्रय मूल्य का भाग नहीं है, एवं व्यवहारी द्वारा सर्विस चार्ज कम्पनी के कर्मचारियों के लिए वसूल किया जाता है तथा यह कम्पनी के कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाता है जो कि अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों से प्रमाणित है। उन्होंने आगे कथन किया कि सर्विस चार्ज अधिनियम के अनुसार "विक्रय" या विक्रय मूल्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे अपने कथन कहा कि अधिनियम की धारा 2(36) के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा बाजार मूल्य पर जो चार्ज लिए जाते हैं, वह कर की श्रेणी में नहीं आते हैं। अपने कथन की पुष्टि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स जॉर्ज ऑकेस प्रा.लि. बनाम मद्रास सरकार (AIR 1962 SC 1037) को उद्धरित किया।

अपीलार्थी के अधिकृत अभिभाषक ने अपने कथन को आगे जारी रखते हुए कहा कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण में किया गया क्षेत्राधिकार अनुचित है क्योंकि विवादित संब्यवहार नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कोई कर चोरी नहीं की गई है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रस्तुत पांचों अपीलों स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि डिलीवरी से पूर्व की गई किसी भी प्रकार की बिक्री विक्रय मूल्य का ही एक भाग होती है। इस प्रकार से कम्पनी के द्वारा ग्राहकों से जो रॉयल सर्विस चार्ज, रूम सर्विस चार्ज, बैंक्विट सर्विस चार्ज एवं रेस्ट्रो सर्विस चार्ज लिया गया हैं, वह बिक्री मूल्य का भाग है, अतः अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कर की चोरी की गई हैं। इस प्रकार विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय बिलों में सर्विस चार्जेज विक्रय राशि के साथ अलग से वसूल किया गया है व इस राशि को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया गया है तथा इस राशि पर अपीलार्थी द्वारा कोई कर भुगतान नहीं किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त राशि को विक्रय मूल्य का हिस्सा मानकर इसे कर योग्य मानकर कर ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 2(36) को यहां उद्धरित किया जाना प्रासंगिक होगा जो निम्न प्रकार है:-

2(36) "Sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act.

7. उक्त धारा के अध्ययन से स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य के अन्तर्गत व्यवहारी के द्वारा, माल या दी गई सेवाओं के संबंध में उसके परिदान के समय या उसके पूर्व की गयी किसी भी बात के लिए प्रभारित किसी भी राशि को शामिल किया गया है।

8. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर बनाम मैसर्स ब्रिटानिया डेयरी प्रा.लि. उद्धरित किया गया है, जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मण्डी कर को सर्विस टैक्स नहीं माना है तथा मण्डी टैक्स को सर्विस टैक्स से मुक्त रखा गया है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण प्रोद्धरित दृष्टांत के अनुसार मण्डी टैक्स ना होकर होटल व रेस्टोरेन्ट द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज, रूम सर्विस चार्ज, बैंक्विट सर्विस चार्ज एवं रेस्ट्रो सर्विस चार्ज से है, जो की मण्डी द्वारा लिये जाने वाले मण्डी टैक्स से भिन्न है।
09. अपीलार्थी कम्पनी का मुख्य कार्य रेस्टोरेंट एवं होटल का है। कम्पनी की लेखा पुस्तकों की जाँच पर पाया गया कि कम्पनी द्वारा 14 प्रतिशत कर योग्य आईटम जैसे आईसक्रीम, मिनरल वाटर एवं सोफ्टड्रिंक आदि का विक्रय करापवंचन की नियत से 5 प्रतिशत की दर से किया गया है। कम्पनी द्वारा होटल में ठहरने वाले ग्राहक से नियमानुसार वैट चार्ज किया जाता है। वैट चार्ज करने के बाद कम्पनी के द्वारा जो सर्विस चार्जेज लिये जाते है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई वैट वसूल नहीं किया जाता है, जबकि ग्राहक से वसूल किए गए जैसे रॉयल सर्विस चार्ज, रूम सर्विस चार्ज, बैंक्विट सर्विस चार्ज एवं रेस्ट्रो सर्विस चार्ज भी विक्रय मूल्य का ही एक भाग है, जिन पर कर दायित्व बनता है।
10. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय के समय विक्रय बिल मे ही दी गयी सेवाओं के शुल्क की राशि को भी वसूल किया गया है जो कि उक्तानुसार विक्रय मूल्य का ही हिस्सा है। उक्त विवेचन अनुसार सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में अपीलार्थी व्यवहारी पर जो कर व ब्याज आरोपित किया गया है वह विधिसम्मत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।
11. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ये पांचों अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2011 व 14.02.2012 की पुष्टि की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)
अध्यक्ष